


26⁵
25

पत्रावली पेश। वकील वादी हाजिर।
पत्रावली में पूर्व में भी वकील वादी को
अंतिम हिलायत की गई थी कि आगामी
पेशी पर तामिल की एसीदे पेश करें,
अथवा आदेश 9 नियम 5 के तहत
आदेश पारित किया जाएगा लेकिन वकील
वादी ने आज दिनांक तक तामिल की
एसीदे पेश नहीं की। अतः वादी का वाद
आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली फेरसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दस्त
हो।


उपसचिव अधिकारी
बतारामगढ़ (सीकर)